पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0–(एम0टी0पी0एस0)–मुजफ्फरपुर –150 / 2012........ / रा0, पटना, दिनांक–..................

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू–अर्जन प्रशाखा

वापसी अधिसूचना

संख्याः – 2943 / रा० **पटना,दिनांक** - 16-12-13

प्रपत्र 17'ए'

भू–अर्जन अधिनियम 1894 तथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 48 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रपत्र।
(देखें कंडिका 103)

भू–अर्जन अधिनियम 1894 तथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 48(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–धमौली रामनाथ (चादर नं०–5),थाना नं०–496, अंचल –काँटी, जिला मुजफ्फरपुर में अधिघोषणा संख्या–14 / डी० एल०ए० (एम०टी०पी०एस०)–मुजुफ्फरपुर–150 / 12–2409 / रा० दिनांक 12.10.2012 जो मुजफ्फरपुर अधिघोषणा जिला गजट संख्या–27 दिनांक 12.11.2012 के पृष्ठ संख्या 183–184 पर एवं दो दैनिक समाचार पत्र 1. हिन्दुस्तान दिनांक 02.11.2012 एवं 2. पिन्दार दिनांक 02.11.2012 को 6.50 (छः एकड़ पचास डिसमिल) एकड़ के लिए प्रकाशित की गई है, जिसमें अर्जनाधीन पुर्ण खेसरा नं० 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613 एवं 8614 तथा अंश खेसरा नं० 8579, 8580, 8615, 8616 एवं 8617 रकवा 6.50 (छः एकड़ पचास डिसमिल) एकड़ भूमि अर्जन से वापस किया जाता है।

भू– अर्जन की प्रक्रिया से मुक्त हो रही उपरोक्त अर्जित भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया था और न भू–धारी को किसी प्रकार की क्षति पहुँची है। इसलिए भू–अर्जन अधिनियम की धारा 48(2) के अन्तर्गत संबंध भू–धारियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

सरकार के ~~उप~~ सचिव
बिहार, पटना।

– 2943

ज्ञाप संख्या–14 / डी0एल0ए0–(एम0टी0पी0एस0)– मुजफ्फरपुर –150 / 2012...../ रा0, , पटना, दिनांक–16-12-13

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरांत इसकी 10 प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव।

D:\DLAO-2013\DINESH SIR\Format 4\Memo.doc